7/9/2022 V-101

PRO(R) 1476 7/9/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 1866 दिनांक 6/9/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि.** की योजना **शेखावत कॉलोनी ब्लॉक–'ए' एवं ब्लॉक–'सी'** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम मीनावाला तहसील जयपुर	75	0.3415	1. कुशला पुत्र पाँच्या, हिस्सा–1/3
	76	0.0126	2. खाँगा पुत्र छोटू, हिस्सा–1/9
	77	0.2529	3. गँगाराम पुत्र मान, हिस्सा–1/45
	78	0.1138	4. गणेशनारायण पुत्र मान, हिस्सा–1/45
	79	0.4047	5. गोविन्दराम पुत्र जीवन, हिस्सा–1/12
	80	0.4300	6. छीतरमल पुत्र मान, हिस्सा–1/45
			7. दूलाराम पुत्र मान, हिस्सा–1/45
			8. नारायण पुत्र छोटू, हिस्सा–1/9
			9. प्रभातिलाल पुत्र मान, हिस्सा–1/45
			10. बालू पुत्र जीवन, हिस्सा–1/12
			11. रूगनाथ पुत्र जीवन, हिस्सा–1/12
			12. रामदेव पुत्र जीवन, हिस्सा–1/12
			सर्व जाति रैगर, सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 6/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1893 दिनांक: 8/9/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित **भैरव गृ.नि.स.स. की योजना–कुबेर नगर** के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता / पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग गज में)
1.	श्रीमती मांगी बाई धाकड़	श्री मोहन लाल	01, 02–ए	336.8
2.	श्रीमती श्रेया गुप्ता	श्री चन्द्र प्रकाश	04	260
3.	श्रीमती अमिता शर्मा	श्री सुभाष शर्मा	05	257.5
4.	श्रीमती अनिता विजय	श्री महेश कुमार विजय	06	252
5.	श्री पुनीत चारण	श्री पीथु दान चारण	07	247
6.	श्री कुशाल सिंह शेखावत	श्री सोपाल सिंह	08	323.30
7.	श्री सतवीर मीणा	श्री रामकरण	09	198.6
8.	श्रीमती खुशबू	श्री बंशीलाल	11	230.8
9.	श्रीमती उर्मिला रावत	श्री प्रमेन्द्र कुमार	10	313.33
10.	श्रीमती कविता शर्मा	श्री योगेश कुमार शर्मा	12	225
11.	श्री दलीप सिंह राठौड़	श्री मानसिंह राठौड़	13	220
12.	श्री सादुल सिंह	श्री अमर सिंह	14	215.80
13.	श्रीमती सुमन अग्रवाल	श्री अभय अग्रवाल	15	227.50
14.	श्रीमती ललिता पारीक	श्री दुष्यंत पारीक	16	277.33
15.	श्री दुष्यंत पारीक	श्री ओम प्रकाश शर्मा	17	200
16.	–	–	18	–
17.	–	–	19	–
18.	श्री देवी सिंह	श्री तखत सिंह	20	266.66
19.	–	–	21	–
20.	–	–	22	–
21.	श्री रघुवीर सिंह	श्री भंवर सिंह	23	200
22.	श्री लादू सिंह	श्री रोड सिंह	24	200
23.	श्रीमती संतोष कंवर	श्री लादू सिंह	25	320
24.	श्री प्रेम सिंह परिहार	श्री गोपाल सिंह परिहार	26	200
25.	श्री कमल किशोर शर्मा	श्री प्रभु दयाल शर्मा	27	200
26.	श्रीमती सरोज कंवर	श्री भंवर सिंह	28	200
27.	श्रीमती सायर कंवर	श्री श्योदान सिंह	29	200
28.	श्रीमती प्रियंका राव	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	30	320
29.	श्री लादू सिंह	श्री रोड सिंह	31	200
30.	श्री कुलदीप सिंह	श्री लादू सिंह	32	200
31.	श्रीमती सुशीला कंवर	श्री जनक सिंह	33	200
32.	श्रीमती सुशीला कंवर	श्री जनक सिंह	34	266.66
33.	श्री राघेवन्द्र पारीक	श्री श्याम कुमार पारीक	35	266.66
34.	श्रीमती पूनम	श्री मंगल सिंह	36	200
35.	श्रीमती साधना शर्मा	श्री ब्रम्ह प्रकाश शर्मा	37	200
36.	श्रीमती दीपिका बिडला	श्री मुरारी बिडला	38	200

उपायुक्त (जोन-7)

37.	श्रीमती राजकुमारी	श्री गजेन्द्र सिंह	39	196.66
38.	श्री अजयसिंह–मीनाक्षी राजावत	श्री राजसिंह–अजय सिंह	40–ए	273.30
39.	श्री राजवीर सिंह शेखावत	श्री बहादुर सिंह शेखावत	40	200
40.	श्री राकेश सिंह शेखावत	श्री बहादुर सिंह शेखावत	41	200
41.	श्री कृष्णा सोढानी	श्री प्रमोद कुमार सोढानी	42	266.66
42.	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री डाला सिंह राठौड़	43	266.66
43.	श्री लक्ष्यराज सिंह शेखावत	श्री नरेन्द्र सिंह	44	200
44.	श्री हनुमान सिंह	श्री दान सिंह	45	200
45.	श्रीमती गेन्द कंवर	श्री मोहर सिंह	46	200
46.	श्रीमती गुलाब कंवर	श्री हनुमान सिंह	47	320
47.	श्री बच्चू सिंह मीणा	श्री बालुराम मीणा	48	200
48.	श्री बच्चू सिंह मीणा	श्री बालुराम मीणा	49	200
49.	श्रीमती राजेश्वरी मीणा	श्री बच्चू सिंह मीणा	50	136
50.	श्री उम्मेद सिंह	श्री मूलसिंह	51	215.4
51.	श्री उज्जवल भट्ट	श्री नन्द किशोर भट्ट	52	192
52.	श्री अखिलेश पारीक	श्री जगदीश नारायण पारीक	53	192
53.	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री मोहर सिंह	54	298.6
54.	श्री उदयसिंह	श्री सवाई सिंह	55	167.04
55.	श्री बजरंग सिंह	श्री सवाई सिंह	56	153.30
56.	श्रीमती अनुपमा शेखावत	श्री नरेन्द्र सिंह	57	146.60
57.	श्री नरपत सिंह	–	58	177.7
58.	श्री भवानी सिंह	श्री जयसिंह	59	217.77

PRO/R-1484 8/7/22

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा. जोन–8/2022/डी–3869 दिनांक 7/9/2022

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्षे.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री राहुल सिंह चौहान पुत्रान स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह	133	100.87 व.ग.	लूनियावास गृ.नि.स.स.	श्याम विहार	लीजडीड	रजि0 हक–त्याग पत्र दिनांक 02.03.22, दिनांक 13.08.2017 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र

PRO/R-1485 8/9/22

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 5328 दिनांकः– 07/9/2022

सार्वजनिक सूचना

आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	ऑनलाईन आवेदन क्रमांक	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	100041	07	355.55 व.ग.	निजी खातेदारी की योजना रामनगरिया साउथ ए	श्री गंगवाल रियल एस्टेट एलएलपी जरिये पार्टनर श्री कुसुम गंगवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	श्री गंगवाल रियल एस्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्रीमती संध्या अग्रवाल	मूल दस्तावेज गुम होने के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-1786
8/9/22

D:\data d drive Babu Lal Sharma Machine Data\D Drive data\BABU 2\BABU 2\CPM.doc

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/उपा/जोन–11/प्र.सं. 75/10/90ख /2022/डी–2375 **दिनांक 8/9/22**

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **खातेदार श्रीमती अमृता कान्डा पत्नी श्री अंकुर कान्डा निवासी– बी–2ई, बी–2एफ, फ्लेट नं. 402, रूकमणी गार्डन शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर** द्वारा ग्राम **खटवाडा** तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 969 रकबा 0.79 हैक्ट. ख.नं. 970 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 971 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 972 रकबा 0.74 हैक्ट. ख.नं. 973 रकबा 0.25 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 हैक्ट. में **फार्म हाऊस** प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु जारी किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

90बी के निर्णय अनुसार खातेदार श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री रामसिंह मीणा निवासी–नाकावाला, पोस्ट सिरोटी वाया मनोहरपुर, तहसील आमेर हाल निवासी ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 972, 973 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर श्री अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत सिंह सिंघवी को दिनांक 30.11.2011 के द्वारा विक्रय दिया गया। तत्पश्चात श्री अनिल सिंघवी पुत्र श्री नरपत सिंह सिंघवी के द्वारा ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नमबर 972, 973 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2021 क्रमांक 202103135101171 एवं क्रमांक 202103135101172 के द्वारा **श्रीमती अमृता कान्डा पत्नी श्री अंकुर कान्डा को विक्रय कर दिया गया।**

ग्राम ग्राम **खटवाडा** तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 969 रकबा 0.79 हैक्ट. ख.नं. 970 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 971 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 972 रकबा 0.74 हैक्ट. ख.नं. 973 रकबा 0.25 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 हैक्ट. भूमि में फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक **24.09.2010** को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त **खटवाडा** तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 972, 973 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर भूमि **फार्म हाउस** प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो जारी विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में **फार्म हाउस** प्रयोजनार्थ लीजडीड किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 8/9/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन–11
ज.वि.प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—जविप्रा/जोन—11/उपा./2022/डी— 2276　　　　दिनांक : 29/8/2

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती दयाल देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर, श्री रामनारायण, श्री मोहनलाल, श्री जयनारायण, श्री छोटूलाल, श्री कन्हैयालाल पुत्रान् स्व. श्री रामेश्वर श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व. श्री रामेश्वर	श्री रामेश्वर पुत्र श्री चूनाराम रैगर	11/OE/1966 11/OE/1977 11/OE/2004	100 व.मी. 100 व.मी. 50 व.मी.	रिंग रोड परियोजना	ग्राम अवरावाला	नाम हस्तान्तरण हेतु	तहसीलदार सांगानेर द्वारा जारी फर्द मौका एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन—11,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः— जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

उपायुक्त जोन—11,
जविप्रा, जयपुर।

29/8

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102062 दिनांक: 08/09/2022

लोक सूचना

किशन दुलेत पुत्र श्री हरिनारायण मीणा जाति मीणा निवासी–प्लाट नं. 7, अजमेरा गार्डन किंग्स रोड निर्माण, अजमेर रोड, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **संस्थानिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	खटवाडा, सांगानेर (जयपुर)	किशन दुलेत पुत्र श्री हरिनारायण मीणा जाति मीणा निवासी–प्लाट नं. 7, अजमेरा गार्डन किंग्स रोड निर्माण, अजमेर रोड, जयपुर।	1305 / 1300	4635	0.4635
				कुल	0.4635

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **08-09-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 08/09/2022

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102077

लोक सूचना

श्री करूण गोदी पुत्र श्री जयनारायण मोदी जाति महाजन निवासी 34ए, श्री रामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	नींदड, आमेर (जयपुर)	करूण गोदी पुत्र श्री जयनारायण गोदी	2697	2800.00	0.5100
			2698	2300.00	
				कुल	0.5100

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08.09.2022 को जारी की गयी।

08/09/22

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी- 2376 दिनांक 8/9/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री किशन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री राम किशोर शर्मा	गोल्डनर्क प्रोजेक्ट प्रा.लि.	662–सी	60	जविप्रा योजना	ग्राम भम्भोरिया	लीजडीड	नाम हस्तांतरण पत्र
2.	श्रीमती शशि कुमारी पत्नी श्री महेशचन्द गुप्ता	श्री नारायण पुत्र श्री पांचू	एस–1376–सी	90	जविप्रा योजना	ग्राम बगरूखुर्द	लीजडीड	नाम हस्तांतरण पत्र व आवंटन पत्र
3.	श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता	श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद अग्रवाल	1096	13.50	जविप्रा योजना	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
4.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता	श्रीमती सीमा कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार	1419	13.50	जविप्रा योजना	ग्राम बगरूखुर्द	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
5.	श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता	श्री नन्दलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान श्री नानगराम	1275–सी	50	जविप्रा योजना	ग्राम टीलावास	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

PRO/F/1487 8/9/22

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:– जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय) / 2022 / डी– 3814 दिनांक:– 8-9-22

–:सूचना:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	[illegible]	कानाराम	16	416.66	मीनावाला गृ नि.स.स.लि	सुखिजा विहार सी	लीजडीड	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि –
1. उप निदेशक (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102078 दिनांक [illegible]2022

लोक सूचना

श्री **RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHOIRZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI** पुत्र श्री **GANESH RAM SAINI** जाति **SAINI** निवासी **WARD 17, DHANI DARJAY WALI, SHAHPURA, JAIPUR, RAJASTHAN 303103** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय/मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अनिवृति [illegible] के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	[illegible]
1.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	650	5100	0.51
2.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	651	4100	0.41
3.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	652	2600	0.26
4.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	653	1800	0.18
5.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND	654	200	0.02

Scanned with OKEN Scanner

		SAINI				
6.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	655	2800		0.23
7.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	656	1800		0.18
8.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	657	4500		0.45
9.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	661	3500		0.35
10.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	678	3500		0.35
11.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	679	1200		0.12
12.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	680	2500		0.25
13.	वाटिका, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED	681	1800		0.18

Scanned with OKEN Scanner

		DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI			
				कुल	3.54

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकार के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **08-09-2022** को जारी की गयी। 8/9/22

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner